

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,  
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

**विषय :** आपदा प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य के रूप में उपलब्ध कराए जानेवाले १ कर्वी० खाद्यान्न के स्थान पर ₹ 3,000/- (तीन हजार रुपये) की राशि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

महाशय,

कृपया अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं/स्थानीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को वर्ष 2015–20 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 की तिथि से प्रभावी साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैय्या कराने के संबंध में प्रेषित विभागीय पत्रांक 1913 दिनांक 26.05.2015 का उल्लेख किया जाए। अवगत हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्काल मुफ्त साहाय्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है। संसूचित मानदर के अनुसार मुफ्त साहाय्य के रूप में प्रति वयस्क 60/- रु० प्रतिदिन एवं प्रति अवयस्क 45/- रु० प्रतिदिन की राशि निर्धारित है। तदनुसार उक्त पत्र में अंकित किया गया है कि ऐसे मामलों में प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य के रूप में 01 विवंटल खाद्यान्न (50 किलो गेहूँ+ 50 किलो चावल) तथा 3,000/- नकद अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि यह मुफ्त साहाय्य एक माह की अवधि के लिए दिया जाता है।

2. अवगत हैं कि अभी तक प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर उपरोक्तानुसार खाद्यान्न की व्यवस्था राज्य खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न से कर ली जाती है तथा भारत सरकार से O.M.S.S. (Open Market Sales Scheme) योजनान्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होने पर व्यवहृत खाद्यान्न का समायोजन तदनुसार किया जाता है। परन्तु वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाने एवं OMSS योजना को भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिये जाने के कारण राज्य खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्नों के मुफ्त साहाय्य के रूप में उपयोग करने में कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं के घटित हो जाने के बाद भारत सरकार से मुफ्त साहाय्य मद में खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त किया जाता है, परन्तु आवंटन प्राप्त होने एवं उसके उठाव में काफी समय लग जाने के कारण आपदा पीड़ितों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने में व्यावहारिक कठिनाई होती है।

3. अतएव सरकार ने निर्णय लिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाने तथा OMSS को भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न परिस्थिति में मुफ्त साहाय्य के रूप में खाद्यान्न के मद में प्रति परिवार 3,000/- रु0 नकद राशि उपलब्ध करायी जाए। यह राशि नकद अनुदान मद में दिये जानेवाले 3,000/- रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी।

4. इस प्रकार अगले आदेश तक मुफ्त साहाय्य के रूप में कुल 3,000/- रु0 + 3,000/- रु0 = 6,000 रु0 की राशि पीड़ितों को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी।

5. साथ ही उपरोक्तानुसार मुफ्त साहाय्य तथा बर्तन एवं कपड़ा मद में देय अनुग्रह अनुदान, (जैसे- बाढ़/भूकम्प/अग्निकांड/चक्रवातीय तूफान आदि के कारण जिनका घर क्षतिग्रस्त हो गया हो अथवा बाढ़ में सामान बह गया हो) जो वर्तमान मानदर के अनुसार क्रमशः 1,800/- रु0 एवं 2,000/- रु0 प्रति परिवार है, की पूरी राशि NEFT/RTGS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में सीधे उपलब्ध करायी जाएगी। यदि NEFT/RTGS का उपयोग किसी कारणवश संभव न हो तो आपवादिक मामले में A/c payee cheque के माध्यम से राशि लाभुकों को दी जाएगी।

6. कृपया इसे आवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

४५  
(व्यास जी)  
प्रधान सचिव